डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती शकुंतला चौधरी आर.ए.एस

मि0न0 – 195/2022

अनवान : –

1. मुकेश कुमार पुत्र मोहनलाल जाति जाट निवासी मलखेडा तहसील भादरा।

वादी

बनाम

1. मोहनलाल पुत्र नत्थूराम जाति जाट निवासी मलखेडा तहसील भादरा।
2. अमित कुमार पुत्र मोहनलाल जाति जाट निवासी मलखेडा तहसील भादरा।
3. मन्जू पुत्री मोहनलाल जाति जाट निवासी मलखेडा तहसील भादरा।
4. अन्जू पुत्री मोहनलाल जाति जाट निवासी मलखेडा तहसील भादरा।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भादरा। **प्रतिवादीगण**

आज यह वाद मुझ शकुंतला चौधरी उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री राजेश बैनीवाल व वकील प्रतिवादीगण श्री अर्जुन बैनीवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 4 एसडीआर के खाता सं0 79/72 के मु0 न0 56 किला न0 11/1, 12/1, 13/1, 14/1, 14/3, 17/1, 17/2, 18, 19, 24/2, 24/5 कुल 1.7750है जिसमें नहरी 1.7290है0, गै0मु0 रास्ता 0.0460है0, व रोही चक 1 एसडीआर के खाता सं0 81/72 के मु0 न0 18 किला न0 13, 14/1, 18 कुल 0.6800है0 नहरी खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं0 1 मोहनलाल के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हमें से प्रतिवादी सं0 1 मोहनलाल का नाम कलमजन क्रिया जाकर वादी मुकेश कुमार व प्रतिवादी सं0 2 अमित कुमार को बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 4.10.22 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुंतला चौधरी)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :—श्रीमती शकुंतला आर.ए.एस.

मि0न0 — 195 / 2022

अनवान : —

1. मुकेश कुमार पुत्र मोहनलाल जाति जाट निवासी मलखेडा तहसील भादरा।

वादी

बनाम

1. मोहनलाल पुत्र नत्थूराम जाति जाट निवासी मलखेडा तहसील भादरा।
2. अमित कुमार पुत्र मोहनलाल जाति जाट निवासी मलखेडा तहसील भादरा।
3. मन्जू पुत्री मोहनलाल जाति जाट निवासी मलखेडा तहसील भादरा।
4. अन्जू पुत्री मोहनलाल जाति जाट निवासी मलखेडा तहसील भादरा।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भादरा।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88
राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :— श्री राजेश बैनीवाल **वादी**
श्री अर्जून बैनीवाल **प्रतिवादीगण**

निर्णय दिनांकः 5.10.22

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 4 एसडीआर के खाता सं0 79 / 72 के मु0 न0 56 किला न0 11 / 1, 12 / 1, 13 / 1, 14 / 1, 14 / 3, 17 / 1, 17 / 2, 18, 19, 24 / 2, 24 / 5 कुल 1.7750है जिसमें नहरी 1.7290है0, गै0मु0 रास्ता 0.0460है0, व रोही चक 1 एसडीआर के खाता सं0 81 / 72 के मु0 न0 18 किला न0 13, 14 / 1, 18 कुल 0.6800है0 नहरी खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं0 1 मोहनलाल के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी व प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि व रिति—रिवाज से शासित है। वाद भूमि पहले वादी के दादा नत्थूराम की खातेदारी हुआ करती थी। प्रवितादी सं0 1 कर्ता खानदान होने के कारण तन्हा अपने नाम दर्ज करवा ली । वाद भूमि में वादी तथा प्रतिवादी सं0 1 ता 4 का जन्म से हक हिस्सा निहित है। अतः वादी अपने हिस्से की भूमि अपने नाम दर्ज करवा पाने का क़ानूनी अधिकारी है। यह ही बिनाय मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 4 ने आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया। व प्रतिवादी सं0 5 स्टेट को वकील वादी ने तर्क अंकित किया।

साक्ष्य वादी में वादी मुकेश कुमार पुत्र मोहनलाल के द्वारा साक्ष्य करवाये गये। जिसमें वर्तमान जमाबंदी के साथ साथ पैतृक जमाबंदी व वारिसान प्रमाण पत्र तस्दीक करवाये गये।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व) भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने निवेदन किया कि मुताबिक राजीनामा वाद वादी डीकी किया जावें जिस पर वकील प्रतिवादी ने सहमती प्रकट की।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में वादीगण ने रोही मौजा चक 4 एसडीआर के खाता सं0 79/72 के मु0 न0 56 किला न0 11/1, 12/1, 13/1, 14/1, 14/3, 17/1, 17/2, 18, 19, 24/2, 24/5 कुल 1.7750है जिसमें नहरी 1. 7290है0, गै0मु0 रास्ता 0.0460है0, व रोही चक 1 एसडीआर के खाता सं0 81/72 के मु0 न0 18 किला न0 13, 14/1, 18 कुल 0.6800है0 नहरी खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं0 1 मोहनलाल के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जो प्रस्तुत दस्तावेजात से पैतृक कृषि भूमि होना साबित है। जिसमें प्रतिवादी सं0 1 के साथ वादी व प्रतिवादी सं0 2 ता 4 का जन्म से हक हिस्सा निहित है। प्रतिवादी सं0 3 व 4 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 2 के हक में त्याग कर शून्य कर लिया है। इस प्रकार वाद भूमि में वादी मुकेश कुमार व प्रतिवादी सं0 2 अमित कुमार को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा डीकी योग्य होने के कारण स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

अतः वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 4 एसडीआर के खाता सं0 79/72 के मु0 न0 56 किला न0 11/1, 12/1, 13/1, 14/1, 14/3, 17/1, 17/2, 18, 19, 24/2, 24/5 कुल 1.7750है जिसमें नहरी 1.7290है0, गै0मु0 रास्ता 0.0460है0, व रोही चक 1 एसडीआर के खाता सं0 81/72 के मु0 न0 18 किला न0 13, 14/1, 18 कुल 0.6800है0 नहरी खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं0 1 मोहनलाल के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हमें से प्रतिवादी सं0 1 मोहनलाल का नाम कलमजन किया जाकर वादी मुकेश कुमार व प्रतिवादी सं0 2 अमित कुमार को बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें। पर्चा डीकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 4.10.22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शकुंतला चौधरी)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व) R.A.S
भादरा (जिला हनुमानगढ़)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़